कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/प्रारं/शि0सं0/एफ-1/नोशनल/चित्तोडगढ/19 दिनांक : 31/07/19

जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा,
समस्त ।

अति आवश्यक

विषय : तृतीय श्रेणी अध्यापकों के नोशनल-वरिष्ठता परिलाभ के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय के ध्यान मे आ रहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्राशि कार्यालयों के द्वारा नोशनल परिलाभ देने के संबंध मे अलग अलग प्रकार के आदेश लेखा सेवा के अधिकारी से बिना परीक्षण करवाये पारित किये जा रहे हैं कतिपय जिशिअ प्राशि कार्यालयों द्वारा नोशनल परिलाभ देने के अभ्यावेदनों को स्वीकार करते समय परिवीक्षाकाल की अवधि मे भी उन्हे नियमित वेतन श्रंखला का लाभ देते हुए आदेश पारित किये जा रहे है जब कि ***राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 3 'सेवा की सामान्य शर्तें' के नियम 8 के अन्तर्गत 20.01.2006 या इसके पश्चात राजकीय सेवा में प्रवेश करने वाले किसी भी कार्मिक को दो वर्ष की कालावधि में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जाएगा एवं परिवीक्षा प्रशिक्षु अवधि के दौरान उसे नियत पारिश्रमिकसंदत किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत किया जाए ।***

विभिन्न शिक्षक संघों द्वारा यह मांग की जा रही है कि समस्त जिलों में उक्त निर्णय की पालना एकरूपता से की जावे । उक्त स्थिति के मध्यनजर विभिन्न जिशिअ कार्यालयों द्वारा भी मार्गदर्शन चाहा जा रहा है ।

प्रकरण का विधिक एवं नियमान्तर्गत गहन परीक्षण किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय निर्णय की पालना में अभ्यावेदन निस्तारित करते समय राजस्थान सेवा नियमों का पूर्णतः पालन किया जावे। परिवीक्षाकाल प्रशिक्षु अवधि में कार्मिक को ***राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 3 'सेवा की सामान्य शर्तें' के नियम 8 के अन्तर्गत*** राज्य द्वारा निर्धारित नियत पारिश्रमिक ही संदत हो तथा उसे वास्तविक लाभ परिवीक्षा प्रशिक्षु अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर ही प्राप्त हों इस बात को सुनिश्चित किया जावे नियम विरुद्ध भुगतान की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा आपके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही संपादित की जावेगी।

(ओम कसेरा)
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायत राज (प्रारंम्भि शिक्षा) विभाग
राजस्थान बीकानेर